[illegible]ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 28.09.2021

[illegible] संख्या :–150 / 2021

[illegible]NO:- 2021/294

[illegible] अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रहलाद पुत्र हरदेव जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. कैलाशी पत्नी कैलाश जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. गुलाब पुत्री हजारी लाल पत्नी सुन्दरा जाति मीना हाल निवासी डोडी तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
3. हजारी बाई पत्नी दुर्गालाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
4. सुन्दर लाल पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
5. हरपाल पुत्र भंवर लाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
6. गजानन्द पुत्र चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
7. गट्टू पुत्री श्योनारायण पत्नी हजारी लाल जाति मीना निवासी दलेलपुरा ग्राम पंचायत फूलेता तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
8. बच्ची बाई बेवा श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
9. बदाम बाई बेवा गोपाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
10. ब्रहमानन्द दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
11. मोरपाल पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
12. रमेश पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
13. लादू पुत्र रूघनाथ जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
14. शिमला पुत्री श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम भ[illegible] ग्राम पंचायत गुढादेवजी तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून
नैनवाँ जिला बून्दी।
लाल पुत्र मडया उर्फ चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत
तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या ग्राम पंचायत डोकून तहसील
नैनवाँ जिला बून्दी।
राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण—

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 01.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या पटवार मण्डल डोकून तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 441/541/0.0081 है0 गै0मु0 चाह तथा खसरा संख्या 608/441/1.8122 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता रतनगंज उर्फ बांक्या से दक्षिणी ओर देवरियां जाने वाले रास्ते में से फट कर खसरा संख्या 362 व 364 के बीच की मेर पर होता हुआ पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते तक पहुॅचने के लिए खसरा संख्या 632/545 तथा 362 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 362/545 में से रकबा 132 फीट • 13 फीट = 1716 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 362 में से रकबा 449 फीट • 13 फीट = 5837 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल लाईन द्वारा दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.0701 है0 है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मोडसा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम रतनगंज उर्फ बांक्या पटवार मण्डल डोकून तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 441/541/0.0081 है0 गै0मु0 चाह तथा खसरा संख्या 608/441/1.8122 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 362/545 में से रकबा 132 फीट • 13 फीट = 1716 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 362 में से रकबा 449 फीट • 13 फीट = 5837 वर्गफीट भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जो परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.0701 है0 है, के अनुसार रास्ता राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

र्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग । तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व र्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में या गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner